गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.08.2015 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.08.2015 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

01.	प्रो0 अंजिला गुप्ता, कुलपति	अध्यक्ष
02.	प्रो0 एस.एस. सिंह	सदस्य
03.	प्रो0 प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
04.	प्रो0 एस.के. चतुर्वेदी	सदस्य
05.	प्रो0 जी.के. पात्रा	सदस्य
06.	प्रो0 व्ही.एस. राठौड़	सदस्य
07.	प्रो0 एल.पी. पटैरिया	सदस्य
08.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
09.	डॉ0 मनीष श्रीवास्तव	सदस्य
10.	डॉ0 भारती अहिरवार	सदस्य
11.	डॉ0 देवेन्द्र कुमार पटेल	सदस्य
12.	डॉ0 प्रवेश दलई	सदस्य
13.	प्रो0 एस.व्ही.एस. चौहान	विशेष आमंत्रित
14.	प्रो0 प्रदीप शुक्ला	विशेष आमंत्रित
15.	श्री एच.एन. चौबे, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव
16.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	आमंत्रित
17.	श्री आर.के. सोनी, वित्ताधिकारी (प्रभारी)	आमंत्रित

बैठक के प्रारंभ में कुलपति महोदया ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुये विश्वविद्यालय की शैक्षिक अधोसंरचना की अभिवृद्धि हेतु सदस्यों के सहयोग का आव्हान किया, तदोपरान्त बैठक प्रारम्भ हुई।

विषय क0-01. विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25.06.2015 के कार्यवृत्त की संपुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25.06.2015 के कार्यवृत्तों की संपुष्टि के दौरान हुई चर्चा में, विषय क्रमांक-6 के संबंध में स्थायी समिति के सदस्य प्रो0 मनीष श्रीवास्तव ने सीबीसीएस अंगीकृत किये जाने के फलस्वरूप आई.यू.एम. एस. में संशोधन संबंधी प्रकरण पर मान्य समिति के द्वारा कृत कार्यवाही पर अद्यतन स्थिती जानना चाही।

चर्चा के दौरान स्थायी समिति के सदस्य प्रो0 एस.एस. सिंह ने इस संबंध में यह जानकारी दी कि सी.बी.सी.एस. प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु एक अध्यादेश तैयार किया जा रहा है जो लगभग 15 दिवस में तैयार हो पायेगा।

उक्त विषय पर स्थायी समिति में व्यापक चर्चा के दौरान यह अंकित किया गया कि सी.बी.सी.एस. के प्रभावी एवं व्यवस्थित रूप से कार्यान्वयन हेतु, ''पाठ्यक्रम विवरणों के साथ-साथ परीक्षा योजना में भी परिवर्तन किया जाना होगा'' अतः विषय क्रमांक-06 में उल्लेखित समिति इस कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् ही आवश्यक कार्यवाही कर सकेगी। अतः चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त कार्यवाही हेतु एक उप-समिति का गठन किया जाये जो सी.बी.सी.एस. प्रणाली के कार्यान्वयन से पूर्व वांछित कार्यवाहियों पर समग्र रूप से विचार एवं समीक्षा कर तत्संबंधी ''अध्यादेश'' का प्रारूप प्रस्तुत करेगी।

उप-समिति निम्नानुसार होगी :-

प्रो0 एस.एस. सिंह	- समन्वयक
प्रो0 ए.एस. रणदिवे (परीक्षा नियंत्रक)	- सदस्य
प्रो0 एल.पी. पटैरिया	- सदस्य
प्रो0 मनीष श्रीवास्तव	- सदस्य

यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त समिति 30 दिवस के अंदर वांछित अध्यादेश का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत करेगी।

उक्त सुझावों/निर्णय के साथ, विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25.06.2015 के कार्यवृत्तों की संपुष्टि की गई।

विषय क0-02. **सत्र 2015-16 में पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के संबंध में।**

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर समग्र रूप से विस्तृत चर्चा की गई, चर्चा के दौरान विश्वविद्यालय के वित्ताधिकारी के द्वारा यह अवगत कराया गया कि 12वीं योजना में विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति हेतु रूपये 03 करोड़ का प्रावधान किया गया था तथा वर्तमान में लगभग 162 शोधार्थी, जो विश्वविद्यालय शोध प्रवेश परीक्षाओं (VRET) से चयनित किये गये थे, रूपये 8000/- प्रति माह की छात्रवृत्ति सहित शोधकार्यों हेतु पंजीकृत है।

इन शोधार्थियों को उक्त छात्रवृत्ति के अतिरिक्त रूपये 8000/- से रूपये 10,000/- तक प्रतिवर्ष आकस्मिक व्यय प्रदान किये जाने की भी पात्रता है।

चर्चा में वित्ताधिकारी के द्वारा यह तथ्य भी संज्ञान में लाया गया कि पूर्व में विश्वविद्यालय शोध प्रवेश परीक्षा (VRET) के माध्यम से प्रवेशित एवं विश्वविद्यालय में पंजीकृत शोधार्थियों को शोध छात्रवृत्ति प्रदान करने एवं आकस्मिक व्यय इत्यादी की प्रतिपूर्ति हेतु आबंटित समस्त राशि व्यय हो चुकी है तथा वर्तमान में 12वीं योजना में आबंटित विकास अनुदानों की राशियों पर अर्जित ब्याज राशि से विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है तथा यह ब्याज राशि भी भविष्य में शोध छात्रवृत्ति के विरूद्ध होने वाले व्यय हेतु पर्याप्त नहीं होगी।

यह तथ्य भी संज्ञान में लाया गया कि 12वीं योजना में आबंटित राशि (जो समाप्त हो चुकी है) के अतिरिक्त इस मद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अन्य कोई अनुदान राशि आबंटित या विमुक्त नहीं की गई है।

उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में सत्र 2015-16 हेतु विश्वविद्यालय शोध प्रवेश परीक्षा (VRET) उत्तीर्ण एवं विश्वविद्यालय के शोध पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक शोधार्थियों को शोध पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने के संबंध में स्थायी समिति, अधिष्ठाताओं एवं विभागाध्यक्षों की संयुक्त बैठक दिनांक 10.07.2015 के विषय क्रमांक-12 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय कार्यालयीय ज्ञाप क्रमांक 321 दिनांक 07.08.2015 के माध्यम से कतिपय निर्देश जारी किये गये थे।

प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं पूर्ण विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि :-

01. विश्वविद्यालय की गंभीर वित्तीय स्थिती को दृष्टिगत रखते हुये तथा इस मद में 12वीं योजना में आबंटित अनुदान राशियों के व्यय हो जाने एवं इस मद में ब्याज राशि से प्रतिपूर्ति भी पर्याप्त न होने के कारण **निर्णय लिया गया कि** विश्वविद्यालय

25.8.15

28/08/15

कार्यालयीय ज्ञाप क्रमांक 321 दिनांक 07.08.2015 को मूलतः निरस्त किया जाये, क्योंकि अनुदान आबंटन, विमुक्ति का दायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का है, अतः इस दायित्व के विरूद्ध विश्वविद्यालय के द्वारा वचन पत्र लेना उचित नहीं होगा।

यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त कार्यालयीय ज्ञाप के अनुपालन में सम्पन्न की गई प्रवेश प्रक्रिया एवं दिये गये प्रवेश भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिये जाये।

02. **यह भी निर्णय लिया गया कि** उक्त गंभीर वित्तीय स्थिती को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2015-16 हेतु शोध प्रवेश परीक्षा (VRET) के माध्यम से शोध पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया आगामी निर्णय तक स्थगित रखी जाय।

03. विश्वविद्यालय शोध प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के प्रवेश प्रकरण पर विधिक अभिमत प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाये।

विषय क0-03. **स्कूल ऑफ एजूकेशन के नाम से पृथक अध्ययनशाला स्थापित किये जाने के संबंध में।**

प्रस्तुत प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ एजूकेशन के नाम से पृथक अध्ययनशाला स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित परिनियम/अध्यादेश में यथा आवश्यक संशोधन हेतु कार्यवाही की जाय।

विषय क0-04. **केन्द्रीय प्रशिक्षण एवं स्थानन प्रकोष्ठ को सलाह, मार्गदर्शन एवं कार्यों की समीक्षा हेतु प्रभारी के रूप में अधिष्ठाता को नामित किये जाने के संबंध में।**

प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण एवं स्थानन (Training & Placement) की गतिविधियों के नियमन, नियंत्रण एवं सुव्यवस्थिकरण हेतु एक विनियम का प्रारूप तैयार किया जाय। उक्त विनियम के प्रारूप हेतु निम्नानुसार समिति गठित किया जाय :-

01. अधिष्ठाता छात्रकल्याण - संयोजक/समन्वयक
02. अधिष्ठाता अभियांत्रिकी एवं तकनीकी अध्ययनशाला - सदस्य
03. अधिष्ठाता समाज विज्ञान अध्ययनशाला - सदस्य

विषय क0-05. **वर्ष 2001 के पूर्व के उपाधि प्रदान करने हेतु वर्ष 2001 के पश्चात् मुद्रित उपाधि फार्मेट, जिसमें (छ.ग.) (C.G.) मुद्रित है के स्थान पर (म.प्र.) (M.P.) का मुहर लगाकर छात्रों को उपाधि प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य किया जाय।

अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक सम्पन्न हुई।

28.8.15

कुलपति/अध्यक्ष

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव

28/08/2015